(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 78 / 2018

बउनवान

1– चमेलीबाई आयु 50 वर्ष पत्नि सीताराम जाति धाकड निवासी निपानियॉ तहसील छबडा जिला बारॉ

2– रामभरोस आयु 22 वर्ष पुत्र सीताराम जाति धाकड निवासी निपानियॉ तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 275 दि. 17.07.1976 ग्राम निपानियॉ तहसील छबडा के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री कृष्ण गोपाल भार्गव अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 23.03.2020

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 275 दिनांक 17.07.1976 ग्राम निपानियॉ तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 04.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इन्तकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय मे भिजवायी गयी। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम निपानियॉ तहसील छबडा जिला बारॉ मे खाता सरकार सम्वत 2012 से लगातार 17.7.76 (सम्वत 2031 तक) भूमि खसरा नम्बर 1173 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म बंजड अव्वल सिवायचक दर्ज थी। उक्त भूमि की नामान्तरकरण संख्या 275 दिनांक 17.7.76 से रेस्पो0 ने किस्म परिवर्तित कर बंजड से गैरमुमकीन नाकाबिल काश्त दर्ज कर दिया है। उक्त इन्तकाल नम्बर 275 के विरूद्व निम्न आधारो पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 17.7.76 इन्तकाल नम्बर 275 विधि विरूद्व न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। इन्तकाल खोलने से पूर्व मौके की स्थिति का कोई मुआयना नही किया गया और रूटीन प्रक्रिया से अन्य नम्बरान के साथ–साथ खसरा नम्बर 1173 को भी गैर मुमकीन नाकाबिल काश्त दर्ज कर त्रुटि की है।

यह कि भूमि बंजड अव्वल सिवायचक थी, जिस पर अपीलान्ट्स पीढी दर पीढी फसल काश्त करते आ रहे है। उन्होने ही इस भूमि को काबिल काश्त बनाया है और समतल व सिंचित भूमि है, जिसे नाकाबिल काश्त गैर मुमकीन दर्ज कर त्रुटि की है। यह कि कागजात भू–राजस्व मे बंजड अव्वल किस्म दर्ज होना प्रमाणित है तथा इन्तकाल नम्बर 275 से नाकाबिल काश्त दर्ज अन्य भूमि को भी आवंटन के उपयोग मे लिया हुआ है। यह कि उक्त भूमि मे पीढी पद पीढी अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त होने से उन्हे इस बाबत 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस भी जारी किए जाते रहे है इसी से स्पष्ट है कि काश्त उपयोग की भूमि को गलत तौर पर नाकाबिल काश्त दर्ज किया गया है।

यह कि किस्म परिवर्तन करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों की अवहेलना करते हुए इन्तकाल नम्बर 275 खोले जाने का आदेश प्रदान किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। उक्त इन्तकाल की जानकारी अपीलान्ट्स को सर्व प्रथम दिनांक 20.2.2018 को तहसीलदार द्वारा 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत नोटिस जारी करने पर राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल का इन्द्राज होने से हुई है जिस पर नकल का आदेश दिनांक 12.3.2018 को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर अपीलान्ट्स ने अपील पेश करने मे जानबूझकर कोई विलम्ब नही किया है। धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत पृथक से आवेदन पेश किया गया है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर इन्तकाल नम्बर 275 दिनांक 17.7.1976 से खसरा नम्बर 1173 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि जिसकी किस्म गैर मुमकीन नाकाबिल काश्त दर्ज की गई है उसे निरस्त फरमाया जावे तथा पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का आदेश प्रदान करे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा कहा गया कि तत्कालीन राजस्व लोकसेवको द्वारा पूर्ण रूप से मौका निरीक्षण कर ही कार्य किया है इसमे किसी प्रकार न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों का उलंघन नही हुआ है। उक्त भूमि बंजड अव्वल सिवायचक थी। सरकारी भूमि पर काश्त करना अतिक्रमण है, जो कि अपराध है ओर अपराध उत्तराधिकार मे नही मिलता है न ही किये गये अपराध मे किसी प्रकार का कोई लाभ दिया जा सकता है। उक्त इन्तकाल परगना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) छबडा के निर्णय क्रमांक 2522 दिनांक 17.7.1976 से दर्ज किया गया है। वादी यदि पीडित है तो उसे उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करनी थी। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर की मालिक राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा है। उपरोक्त विवादित भूमि की विधि विरूद्व अपीलांट किस्म परिवर्तन कराकर इस पर बदनियति रखते हुये आवंटन कराने की कोशिश कर रहा है। जबकि वादी किसी भी हैसियत से न तो गैरखातेदार है नही खातेदार है। अत्यधिक लोक कल्याणकारी/लोकतान्त्रिक राजस्थान सरकार बडे पैमाने पर आवंटन से बची हुई मात्र चारागाह भूमियों को नंदी गोशाला/गोशालाओं/सार्वजनिक उपयोग हेतु आवंटन किये जाने का निर्णय माननीय विधानसभा मे लिया जा चुका है। ऐसे मे क्षतिपूर्ति के लिए चारागाह भूमि के बदले सिवायचक भूमि ही दी जावेगी, जबकि भूमि ही उपलब्ध नही होगी तो अत्यधिक लोककल्याणकारी योजनाये क्रियान्वित नही हो पायेगी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील काफी विलम्ब से भी प्रस्तुत की गई है जिसे खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने एवं मनन/विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 275 दिनांक 17.07.1976 ग्राम निपानियॉ तहसील छबडा जो कि परगना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) छबडा के निर्णय क्रमांक 2522 दिनांक 17.7.1976 से दर्ज किया गया है। वादी यदि पीडित है तो उसे उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करनी थी। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर की मालिक राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा है। अपीलांट द्वारा अपील 43 वर्ष बाद काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है ओर विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कोई उचित कारण भी नही दर्शाया गया है। प्रकरण मे अपीलांट को इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने की कोई LOCUS STANDI नही है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.07.10 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: